112/17 सरकार vs पोलाराम वगैरा

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11/5/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2017 मे अटल सेवा केन्द्र आडेल मे पेश हुई। प्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी स.1 व 2 की ओर से आपर्ति पेश की गई। उभयपक्ष की मूल आवेदन एवं आपर्ति प्रार्थना पत्र पर सुना गया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि,विप्रार्थी स.1 व 2 की ओर से यह आपर्ति की गई, कि एक ही खसरे मे से दो सड़के नही निकाली जावे। चुंकि भूमिपति तहसीलदार सिणधरी की ओर से उक्त आवेदन जो पुराने समय से आम लोगो द्वारा कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग मे लिये जाने के कारण उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते मे दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया है। इस प्रकार विप्रार्थी स.1 व 2 की आपर्ति मे कोई सारभूत तथ्य निहित नही होने के कारण विप्रार्थी स.1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आपर्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदन मे दर्शित रकबा का मौके पर आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप मे उपयोग मे लिया जा रहा है। अतःप्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली रिझू फेसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। [signature] 11/5/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017
रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.आ) सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 14 दिनांक 11.5.17
मु.नं. 112/17

—::आदेशः:—

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205—40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम नेहरो की ढाणी पटवार मण्डल** नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071—2074 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी एवं राजकीय सिवायचक (समर्पण भूमि) दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम **ग्राम नेहरो की ढाणी पटवार मण्डल** नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी एवं राजकीय सिवायचक भूमि (समर्पण भूमि) को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।निजी खातेदारी की भूमि मे से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगी। परन्तु नक्शे मे व जमाबन्दी मे पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किसम गै.मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	पोलाराम वल्द नगाराम 1/2 हिस्सा,गिरधारी वल्द प्रेमा 1/2 हिस्सा कौम जाट सा.देह खातेदार	117	24-03	बा.दो.	0-10	गे.मु.रास्ता
2	राजस्थान सरकार	114/2	1-01	बा.दो.	1-01	गे.मु.रास्ता
3	राजस्थान सरकार	117/3	0-03	बा.दो.	0-03	गे.मु.रास्ता
4	राजस्थान सरकार	117/2	0-03	बा.दो.	0-03	गे.मु.रास्ता
5	राजस्थान सरकार	123/2	1-10	बा.दो.	1-10	गे.मु.रास्ता
6	राजस्थान सरकार	65/2	0-19	बा.सो.	0-19	गे.मु.रास्ता
7	राजस्थान सरकार	65/3	1-02	बा.सो.	1-02	गे.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

11.5.17
(नाथुसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
दिनांक 11.5.17

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 15-16
प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।
1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

11.5.17
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner